1

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेग्स), बाड़मेर

क्रमांक : प.19(192)(1) महात्मा गांधी नरेग्स/2017-18/3554 दिनांक : 23/3/18

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश 2832/2017-18

राज्य सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक : एफ4(5)ग्रुफ-3/एनआरईजी/2005 दिनांक 13.2.2006 के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान की वर्ष 2016-2017 की जिला परिषद , पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य योजना में से कार्यकारी विभाग/पंचायत समिति से प्राप्त एवं सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित **2** कार्यों की **44.69 लाख (अक्षरे चमालिस लाख उनसतर हजार रू. मात्र)** वित्तीय स्वीकृति उनके सम्मुख अंकितअनुसार के आधार पर कार्यकारी अभिकरण को एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं। कार्यकारी अभिकरण इस कार्य को मार्गदर्शिका एवं तकनीकी स्वीकृति के आधार तत्काल प्रारम्भ करवाकर निर्धारित कार्य में अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

पंचायत समिति गडरारोड़			कार्यकारी एन्जेसी :-ग्राम पंचायत ताणुमानजी					स्वीकृति (लाखों में)			
क.स.	प्लान नं.	कार्य का नाम	श्रेणी	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	तकनिकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक		वित्तीय स्वीकृति राशि			कार्य अवधि
								श्रम	सामग्री	योग	
1	605	आन्तरिक ग्रेवल सडक मुख्य सडक से राउप्रावि जानसिह की बेरी	H	ताणुमानजी	जानसिह की बेरी	1325	07.02.2018	14.05	6.67	20.72	6 माह
2	607	आन्तरिक ग्रेवल सडक आबादी भूमि से दुधोडा	H	ताणुमानजी	दूधोडा	1327	07.02.2018	14.05	9.92	23.97	6 माह
		योग						**28.10**	**16.59**	**44.69**	

उपरोक्त समस्त कार्य निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन करवाये जावेगे :-

1 कार्यो के सम्पादन में राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में निर्दिष्ट मापदण्डो एवं भारत/सरकार से जारी निर्देशो की पालना की जाये।

2 योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो पर मशीनों का प्रयोग प्रतिबन्धित है। अतः कोई भी ऐसा कार्य जो मजदूरों द्वारा सम्पादित किया जा सकता है, उसके लिए मशीन का प्रयोग नहीं किया जावे। अन्यथा सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेवार होगी।

3 कार्य तकनीकी स्वीकृति तथा ग्रामीण कार्य निर्देशिका - 2010 के अनुसार किया जावेगा एवं सुनिश्चित करेगें कि कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है।

4 कार्यो का क्रियान्वयन किसी भी स्थिति में ठेकेदारों के माध्यम से अनुमत नहीं होगा।

5 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के अनुसरण में संबधित पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी। इस स्वीकृति के उपरांत ही संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को इस कार्य के पेटे मस्ट्रोल, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किये जावेगे। कार्य प्रारंभ करने का आदेश जारी करने से पूर्व निजी निर्माण कार्यो के लिए जाति एवं बीपीएल चयनित क्रमांक का सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करेगें।

6 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किसी भी नये कार्य को प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अधिनियम के प्रावधान अनुसार स्कीम के अन्तर्गत चालू कार्यो पर श्रमिको को समायोजित करने की संभावना नहीं होने व न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों की संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नवीन कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की जावेगी।

(1) महात्मा गांधी नरेगस/2017–18/ 3554 दिनांक : 23/3/18

...त स्वीकृत किये जाने वाले खडीन कार्य/ बंधा निर्माण /मिट्टी का बन्धा निर्माण का कार्य सरकारी भूमि पर ही करवाया जावें। किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी ... भूमि पर निर्माण कार्य नही करवाया जावें। यदि निर्माण कार्य करवाया गया तो किसी प्रकार का भुगतान देय नही होगा तथा कार्यक्रम अधिकारी की व्यक्तिगत ...

... लाभ के कार्यो में प्रार्थी इस योजनान्तर्गत पूर्व में लाभान्वित नही होना चाहिए।

...त लाभ के कार्य अनुसूचित जाति /जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को ही स्वीकृत किये जाने हैं। तकनीकी स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जावे की प्रार्थी ...सूचित जाति/जनजाति या बीपीएल चयनित परिवार का सदस्य हो।

...वल सडक के कार्य वही प्रारम्भ कराये जावें जिसमें सार्वजनिक रूप से जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुचता हैं।

व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य आदेश से पूर्व खसरा नम्बर/जमा बन्दी की नकल आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे। व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्यो का भैतिक सत्यापन कराये जावे। इन कार्यो की फोटों कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व,मध्य में एवं कार्य की समाप्ति के उपरान्त आवश्यक रूप से ली जावे।

39 व्यक्तिगत लाभ के कार्यो में प्रत्येक कार्य पर सामग्री मद में कुल व्यय का 40 प्रतिशत से अधिक अनुमत नहीं है। लाभार्थी जॉब कार्डधारी एवं परियोजना में कार्यरत होना आवश्यक है। उक्त श्रेणी के कार्यो में लाभार्थी के परिवार में कोई राज्य कर्मचारी है तो उन्हे उक्त कार्य आरम्भ नहीं करवाया जावें।

40 ग्रेवल सडक कार्य जहां खातेदारी भूमि में प्रस्तावित है, कार्य शुरू करने से पूर्व समझौता /सहमति पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर समपर्ण की कार्यवाही की जावें, यदि कोई विवाद हो तो कार्य शुरू नही किया जावें।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर बाड़मेर
दिनांक : 23/3/18

क्रमांक : प.19(192)(1) महात्मा गांधी नरेगस/2017–18/3555–62

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. माननीया जिला प्रमुख, जिला परिषद, बाड़मेर
2. माननीय सांसद, बाड़मेर–जैसलमेर
3. श्री .... विधानसभा क्षैत्र ....।
4. उपखण्ड अधिकारी /ब्लॉक कोडिनेटर पंचायत समिति ....।
5. प्रधान पंचायत समिति गडरारोड़
6. कार्यक्रम अधिकारी/विकास अधिकारी पंचायत समिति गडरारोड़
7. आईईसी मैनेजर जिला परिषद, बाड़मेर
8 सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बाड़मेर।

(सुरेश कुमार दाधीच)
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा, बाड़मेर